न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 08/**2020** अपील (राजस्व)

श्री रोडसिंह पिता श्री लालसिंह राव निवासी खाम की मादडी, तहसील–मावली, जिला– उदयपुर (राज.)

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

–– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार मावली उदयपुर प्रकरण संख्या 26/2018 ना.क. निर्णय दिनांक 10.02.2020 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 26/2018 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 10.02.2020 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं। विवरण निम्नानुसार हैः

पटवारी हल्का रख्यावल ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मौजा खाम की मादडी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की आराजी संख्या 447 रकबा 1.10 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपीलार्थी के निवेदन पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा खाम की मादडी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की आराजी संख्या 447 रकबा 24.03 बीघा किस्म मगरी मे से 1.18 बीघा भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर पूर्व, उत्तर, पश्चिम दिशा में कच्ची कोट का निर्माण कर रखा है एवं अतिक्रमण स्थल पर अतिक्रमी द्वारा एक [illegible] कमरा 22x11=242 वर्गफीट पर चारदीवारी बना कर टीनशेड [illegible] निर्माण किया हुआ है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 447 रकबा 24.03 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त मे से 1.18 बीघा भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एवं पेनल्टी 50 रूपये आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपील कर अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि के पास में बाडा बनाया है जिसमे टीनशेड कमरा, घास आदि रखने के लिए बनाया है व अपीलाण्ट अपने मवेशी इसी बाडे में कई वर्षों से बांधते आये है व इस समय भी अपीलाण्ट के मवेशी इसी बाडे मे बंधते है तथा कृषि औजार, घास आदि इसी बाडे मे रखते है। अपीलाण्ट 25–30 वर्षो से उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। अपीलाण्ट का कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन के है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना कथित निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है।

अपीलाण्ट ने उक्त आराजी पर 20–25 अलग अलग व्यक्तियों का कब्जा बताया है लेकिन पटवारी हल्का ने किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही करने की रिपोर्ट पेश नही की है केवल अपीलाण्ट के विरूद्ध ही यह कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नही बताया कि अपीलाण्ट का कब्जा कब से है तथा कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन क्यों नही है? अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना पटवारी की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भिन्नता होते हुए भी जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्त के है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पेरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी भूमि के पास में बाडा बनाया है जिसमे टीनशेड कमरा, घास आदि रखने के लिए बनाया है व अपीलाण्ट अपने मवेशी इसी बाडे में कई वर्षों से बांधते आये है व इस समय भी अपीलाण्ट के मवेशी इसी बाडे मे बंधते है तथा कृषि औजार, घास आदि इसी बाडे मे रखते है। अपीलाण्ट 25–30 वर्षो से उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। अपीलाण्ट का कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन के है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना कथित निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलाण्ट के अलावा भी 20–25 व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा है परन्तु पटवारी द्वारा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही करा सिर्फ अपीलाण्ट के विरूद्ध ही दर्ज कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नही बताया कि अपीलाण्ट का कब्जा कब से है तथा कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन क्यों नही है? अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना पटवारी की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भिन्नता होते हुए भी जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्त के है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मौजा खाम की मादडी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की आराजी संख्या 447 रकबा 1.18 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण धारा 91 के तहत दर्ज कर अतिक्रमी को सूचना पत्र जारी किये गये। अतिक्रमित भूमि के रकबा के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही होने से अतिक्रमी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट लिये जाने का निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक घासा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार अतिक्रमी द्वारा मौजा खाम की मादडी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की आराजी संख्या 447 रकबा 24.03 बीघा किस्म बिलानाम गैर काबिलकाश्त मगरी मे से 1.18 बीघा भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर पूर्व, उत्तर, पश्चिम दिशा में कच्ची कोट का निर्माण कर रखा है एवं अतिक्रमण स्थल पर अतिक्रमी द्वारा एक पक्का कमरा 22x11=242 वर्गफीट पर चारदीवारी बना कर टीनशेड डालकर निर्माण किया हुआ है एवं अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। विपक्षी श्री रोड़सिंह पिता श्री लालसिंह द्वारा जानबूझकर बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब मे ही अतिक्रमण की पुष्टि की जा रही है। अपीलार्थी ने वर्षो पुराने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये गये है जिससे यह साबित होता है कि वह आंवटन या निय[illegible] है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि पर अ[illegible]क्र[illegible] किया जाना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से सही होकर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइंश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested